राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़
भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seacco@gmail.com

विषयः– **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 31/03/2022 को संपन्न 403वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

——00——

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 403वीं बैठक दिनांक 31/03/2022 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. डॉ. मोहम्मद रफीक खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
6. श्री कलदियुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: **दिनांक 30/03/2022 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ 403वीं बैठक दिनांक 30/03/2022 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: **औद्योगिक परियोजना एवं गौण/मुख्य खनिजों संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।**

1. मेसर्स गोपाल स्पंज एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–सिलतरा, फेज–II, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1795)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 227312/ 2021, दिनांक 01/09/2021।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम–सिलतरा, फेज–II, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 381/1, 381/2, 382, 392/1, 383/1, 383/3, 383/4, 383/5 एवं 392/7 में इण्डक्''ान फर्नेस क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,904 टन प्रतिवर्ष एवं न्यू हॉट चार्ज आधारित रोलिंग मिल क्षमता – 58,160 टन प्रतिवर्ष की स्थापना करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना की विनियोग रुपये 14 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 396वीं बैठक दिनांक 25/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 25/01/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (कोविड–19 पॉजिटिव होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/03/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 31/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विजय झावर, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेबोरट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री सुधीर सिंह उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति** –

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से स्पंज आयरन (2 x 100 TDP DRI Kiln) – 60,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, डब्ल्यू.एच.आर.बी.

आधारित पावर प्लांट–4.5 मेगावॉट, एम.एस. इंगाट्स/बिलेट्स क्षमता – 30,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 07/02/2020 को जारी की गई है, जो दिनांक 28/02/2025 तक वैध है।

- पूर्व में जारी सम्मति नवीनीकरण के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम आबादी ग्राम–बिखली 1 कि.मी. स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन मांडर 7.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, रायपुर 23.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.1 कि.मी. दूर है। खारून नदी 2.35 कि.मी. एवं छोकरा नाला 1.35 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – वर्तमान में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उद्योग का लेण्ड एरिया स्टेटमेंट प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4. **भू–स्वामित्व संबंधी विवरण** – भूमि खसरा क्रमांक 383/5 (क्षेत्रफल 1.396 हेक्टेयर), 383/1 (क्षेत्रफल 1.376 हेक्टेयर), 383/3 (क्षेत्रफल 1.396 हेक्टेयर), 383/4 (क्षेत्रफल 0.769 हेक्टेयर), 392/7 (क्षेत्रफल 1.267 हेक्टेयर), 381/2 (क्षेत्रफल 0.453 हेक्टेयर), 382 (क्षेत्रफल 0.558 हेक्टेयर), 392/1 (क्षेत्रफल 1.214 हेक्टेयर) का क्रय–विक्रय, बी1, पी2 खसरा प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में फार्म–2, फार्म–1, एवं प्री–फिजीबिलिटी रिपोर्ट में भूमि खसरा क्रमांक 381/1 का उल्लेख किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान उनके द्वारा बताया गया कि खसरा क्रमांक 381/3 के स्थान पर त्रुटिवश खसरा क्रमांक 381/1 का उल्लेख हो गया है। समिति का मत है कि उक्त भूमि के संबंध में खसरावार आवश्यक दस्तावेज के साथ स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. **रॉ–मटेरियल –**

S.No.	Raw Material	Quantity (TPD)	Source	Mode
For Induction Furnace				
1.	Sponge Iron	170	Near by Market	Through covered trucks
2.	Pig Iron / Scraps	50		
3.	Ferro Alloys	2		
For Rolling Mill through Hot charging (Rolled Products)				
1.	Hot metal [Billets]	192	Own Generation	-

6. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –**

S. No.	Units	Existing Capacity	Proposed Capacity	Capacity After Expansion
1.	Induction Furnace	30,000 TPA (1x8 T)	29,904 TPA (2x8 T)	59,904 TPA (3x8 T)
2.	Hot Charged Rolling Mill	-	58,160 TPA	58,160 TPA

3.	Sponge Iron Kilns	60,000 TPA	No change	60,000 TPA
4.	WHRB based Power Plant	4.5 MW	No change	4.5 MW

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु फ्यूम एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया गया है, जिससे पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 35 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर होता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के अंतर्गत इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में बेग फिल्टर का उन्नयन कर लगाया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 35 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 15 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाना प्रस्तावित है। हॉट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल एवं ईंधन का उपयोग नहीं करने के कारण रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र एवं चिमनी की स्थापना किया जाना प्रस्तावित नहीं है। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – प्रस्तावित कार्यकलाप के अंतर्गत इण्डक्शन फर्नेस इकाई से स्लेग – 24 टन प्रतिदिन एवं रोलिंग मिल इकाई से मिल स्केल 1.4 टन प्रतिदिन, एण्ड कटिंग 4.19 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। स्लेग को मेटल रिकव्हरी इकाई उपरांत बचे हुए स्लेग (नॉन मेटलिक) को सड़क संधारण एवं आस-पास के ग्रामों को आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा। मिल स्केल को फैरो एलॉयज मैन्युफेक्चरिंग यूनिट, पैलेट प्लांट अथवा कास्टिंग यूनिट्स को विक्रय किया जाएगा। एण्ड कटिंग को स्वंय के इण्डक्शन फर्नेस में रॉ-मटेरियल के रूप में उपयोग किया जाएगा।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 378 घनमीटर प्रतिदिन (कुलिंग हेतु 300 घनमीटर प्रतिदिन, बॉयलर हेतु 45 घनमीटर प्रतिदिन, डी.एम. प्लांट हेतु 25 घनमीटर प्रतिदिन एवं घरेलू उपयोग हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन) जल का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 400 घनमीटर प्रतिदिन (कुलिंग हेतु 320 घनमीटर प्रतिदिन, बॉयलर हेतु 45 घनमीटर प्रतिदिन, डी.एम. प्लांट हेतु 25 घनमीटर प्रतिदिन एवं घरेलू उपयोग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड से 500 घनमीटर प्रतिदिन के लिए दिनांक 08/06/2009 द्वारा अनुमति प्राप्त की गई है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सोकपिट एवं सेप्टिक टैंक का निर्माण किया गया है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आॅर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – वर्तमान में उद्योग परिसर में 2 नग रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पिट्स (व्यास 3 मीटर, गहराई 3 मीटर) निर्मित है, जिसे पुनर्निमाण किया जाना बताया गया है। रोलिंग मिल शेड की ओर प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 3 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके। अतः उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ की गणना कर ग्राउंड वाटर रिचार्ज व्यवस्थाओं एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 35 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन की मात्रा 2,358.72 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत बेग फिल्टर का उन्नयन कर चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 15 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 2,134.08 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी। हॉट चार्ज आधारित रोलिंग मिल एवं सी.सी.एम. से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् कुल 29.59 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अप्रशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा तथा (3) जल उपभोग की मात्रा में आंशिक वृद्धि होना संभावित है।

11. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु 7500 के.वी.ए. विद्युत की आव"यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट स्थापित है। समिति का मत है कि स्थापित एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत विद्युत की मात्रा एवं आपूर्ति की जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 7 एकड़ (33.12 प्रतिशत) क्षेत्र में 5900 नग पौधे रोपित किया गया है। समिति का मत है कि उद्योग परिसर के भीतर 40 प्रतिशत वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है। साथ ही वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. यदि आवेदित भूमि किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आता हो, तो संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. खसरा क्रमांक 381/3 एवं खसरा क्रमांक 381/1 के संबंध में खसरावार आवश्यक दस्तावेज के साथ स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
3. विनियोग की कुल लागत का ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाए।
4. वर्तमान एवं क्षमता विस्तार उपरांत उद्योग का लेण्ड एरिया स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाए।
5. उद्योग के विभिन्न इकाईयों सहित 40 प्रतिशत वृक्षारोपण क्षेत्र को दर्शाते हुए ले–आउट प्लान प्रस्तुत की जाए।
6. कुल क्षेत्रफल का 40 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्रस्ताव सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही वृक्षों की प्रजाति का उल्लेख करते हुए वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. स्थापित एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत वृद्धि होने वाले प्रदूषण भार की विस्तृत गणना कर जानकारी प्रस्तुत की जाए।
8. स्थापित एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत विद्युत की मात्रा एवं आपूर्ति की जानकारी तथा वैकल्पिक व्यवस्था हेतु क्या डी.जी. सेट स्थापित किया जाना है के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की जाए।
9. परिसर के भीतर वर्तमान में स्थापित एवं क्षमता विस्तार के तहत् परिसर के पूर्ण रनऑफ की गणना, प्रस्तावित ग्राउंड वाटर रिचार्ज व्यवस्थाओं एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत किया जाए।
10. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।
परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. **मेसर्स मुढ़ेना फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री अभिषेक सोनी), ग्राम–मुढ़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1862)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 89976/2021, दिनांक 10/12/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम–मुढ़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 333/1, कुल क्षेत्रफल–0.45 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 800 घनमीटर (2,000 टन) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/03/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 31/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आशीष सोनी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
   ii. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत नहीं की गई है।

   समिति का मत है कि पूर्व में खनिज साधन विभाग से खनन हेतु अनुमति में अधिरोपित शर्तों के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मुढ़ेना का दिनांक 09/07/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 5528/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.02/2019(3) नवा रायपुर, दिनांक 26/10/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुन्द के ज्ञापन क्रमांक 1442/क/ख.लि./न.क्र./2021 महासमुन्द, दिनांक 28/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 20 खदानें, क्षेत्रफल 14.28 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – खनि अधिकारी, जिला–महासमुन्द, दिनांक 20/09/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। पूर्व में लीज श्री रोहित कुमार सिन्हा के नाम पर थी। तत्पश्चात् लीज का हस्तांतरण दिनांक 01/09/2006 को श्री अभिषेक सोनी के नाम पर किया गया है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 18/07/2005 से 17/07/2015 तक की अवधि हेतु वैध थी। अवधि विस्तार के संबंध में खनिज साधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर के अपील क्रमांक एफ 4–37/2019/12 के अनुसार अपीलार्थी श्री अभिषेक सोनी आत्मज श्री पी.एम.सोनी द्वारा कलेक्टर कार्यालय, जिला–महासमुंद में गौण खनिज फर्शीपत्थर के उत्खनि पट्टा के नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन की स्वीकृति के संबंध में अपिलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये गुण दोष के आधार पर नियमानुसार विचार कर प्रकरण का निराकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके संबंध में जिला कार्यालय (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/907/क/ख.लि./उ.प./न.क्र. 59/2015 महासमुंद, दिनांक 25/06/2021 के अनुसार "छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 में संशोधन दिनांक 23/03/2016 के नियम 38क (3) एवं (4) के तहत् उत्खनन पट्टो की अवधि विस्तारित किये जाने हेतु पूरक अनुबंध किये जाने के संबंध में संचालक एवं भौमिकी खनिकर्म, रायपुर पत्र क्रमांक 2903–29/ख.नि.4/न.क्र.05/2015 दिनांक 07/06/2016 के निर्देश में निहित 4.1 से 4.4 उत्खननपट्टो के प्रकरणों का निम्न कंडिकाओं अनुसार परीक्षण उपरांत ही उत्खननपट्टा की अवधि में वृद्धि निम्नानुसार शर्तों की पूर्ति के फलस्वरूप किया जावेगा:–

4.1 उत्खननपट्टाधारी द्वारा पट्टे के शर्तों एवं निबंधनों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं ? उत्खननपट्टा विरूद्ध यदि कोई शर्त उल्लंघन के कारण, कारण बताओं नोटिस की कार्यवाही लंबित हो तो उक्त उल्लंघन के निराकरण पश्चात् ही पट्टा समयावधि बढ़ाये जाने की कार्यवाही की जाये।

4.2 छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 51(6) के तहत् उत्खननपट्टा व्यपगत (लैप्स) की श्रेणी में नहीं आ रहा हो।

4.3 उत्खननपट्टे का उत्खनन योजना अनुमोदित हो तथा पर्यावरण सम्मति प्राप्त हो।

4.4 उत्खननपट्टाधारी पर किसी भी प्रकार का खनिज राजस्व बकाया न हो।

उपरोक्त शर्तों के आधार पर उत्खनिपट्टा लीज विस्तारीकरण की कार्यवाही नियमानुसार किया जाएगा" का उल्लेख है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मुड़ेना 200 मीटर एवं स्कूल ग्राम–मुड़ेना 200 मीटर दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कि.मी. दूर है। महानदी 390 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय

संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 57,500 टन, माईनेबल रिजर्व लगभग 19,285 टन एवं रिकवरेबल 14,464 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,290 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मेनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 7 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। स्टोन कटर का उपयोग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,837
द्वितीय	1,837
तृतीय	1,837
चर्तुथ	1,837
पंचम	2,000

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
षष्टम	1,837
सप्तम	1,837
अष्टम	1,750
नवम	1,837
दशम	2,000

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 575 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,290 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 360 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, इस प्रकार कुल 1,800 घनमीटर क्षेत्र उत्खनित है। जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक viii (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुन्द के ज्ञापन क्रमांक 1442/क/ख.लि./न.क्र./2021 महासमुन्द, दिनांक 28/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 20 खदानें, क्षेत्रफल 14.28 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–मुढ़ेना) का रकबा 0.45 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–मुढ़ेना) को मिलाकर कुल रकबा 14.73 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग कियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

iv. Project proponent shall submit the certificate from forest department for distance between mine lease boundary to forest boundary.

v. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery were previously mining has been done & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA rport.

vi. Project proponent shall submit previous year production details from mining department.

vii. Project proponent shall submit the point wise compliance report of previous permission for mining from the mining department.

viii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

x. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

xi. Project proponent shall submit the detail proposal of plantation for 5 years, incorporating the plant cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost.

xii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स बी.एम. मिनरल्स (प्रो.– श्री यज्ञदत्त शर्मा), ग्राम–कोदवा, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1865)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 69975/2021, दिनांक 11/12/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कोदवा, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा स्थित खसरा क्रमांक 317, कुल क्षेत्रफल–1.76 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–42,120 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/03/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 31/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री एम.डी.ताजुद्दीन अंसारी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कोदवा का दिनांक 22/09/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्रशा.) जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 2737/खनि/डोलोमाईट उ.यो./2021 बिलासपुर, दिनांक 08/03/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 97/खनि.लि/उ.प./डोलोमाईट/2021 बेमेतरा, दिनांक 16/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 4 खदानें, क्षेत्रफल 11.805 हेक्टेयर होना बताया गया है, जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हों) शामिल किया जाना चाहिए।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 98/खनि.लि/उ.प./डोलोमाईट/2021 बेमेतरा, दिनांक 16/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि मेसर्स बी.एम. मिनरल्स के नाम पर है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 579/खनि.लि./डोलो/2020 बेमेतरा, दिनांक 31/10/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी के ज्ञापन क्रमांक/112, दिनांक 08/02/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कोदवा 570 मीटर, स्कूल ग्राम–कोदवा 700 मीटर एवं अस्पताल बेमेतरा 16 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 260 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 7,16,040 टन, माईनेबल रिजर्व 4,60,200 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 4,14,180 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,750 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 6,425 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 11.64 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं किया जाएगा। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	35,100
द्वितीय	42,120
तृतीय	40,404
चर्तुथ	41,028
पंचम	37,284

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
षष्टम	41,730
सप्तम	41,340
अष्टम	40,560
नवम	39,780
दशम	35,880

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.125 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,188 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक के द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में शामिल मेसर्स शुभम मिनरल्स द्वारा एकत्र की गई बेसलाईन डाटा का उपयोग इस परियोजना में भी किये जाने का अनुरोध किया गया है। समिति का मत है कि पूर्व में एकत्रित बेसलाईन डाटा जिन संस्थाओं द्वारा ली गई है, उनका सहमति पत्र एवं मेसर्स शुभम मिनरल्स के परियोजना प्रस्तावक का सहमति पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है। अतः सहमति पत्र प्राप्ति उपरांत ही बेसलाईन डाटा का उपयोग किया जा सकता है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 97/खनि. लि/उ.प./डोलोमाईट/2021 बेमेतरा, दिनांक 16/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 4 खदानें, क्षेत्रफल 11.805 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–कोदवा) का रकबा 1.76 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–कोदवा) को मिलाकर कुल रकबा 13.565 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report or Project proponent shall submit the consent copy of the Project proponent of M/s Shubham Minerals and that institute collected baseline data for EIA.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

iv. Project proponent shall submit the copy of LOI extension.

v. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.

vi. Project proponent shall obtain due permission / authorization from DGMS for controlled blasting & incorporate the permission copy in the EIA report.

vii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating all the mines included in cluster.

viii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

x. Project proponent shall submit the detail proposal of plantation for 5 years, incorporating the plant cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost.

xi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स सेलूद लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री श्याम शर्मा), ग्राम–सेलूद, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1866)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/69986/2021, दिनांक 11/12/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सेलूद, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 303/1, 304 एवं 307/1, कुल क्षेत्रफल–1.48 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–6,206 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/03/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 31/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री उमेश शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सेलूद का दिनांक 23/12/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना –** क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 945/खनि.अनु.–01/2021 दुर्ग, दिनांक 16/09/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1650(ए)/खनि.लि.02/खनिज/2022 दुर्ग, दिनांक 24/01/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 7 खदानें रकबा 9.177 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1650(ए)/खनि.लि. 02/खनिज/2022 दुर्ग, दिनांक 24/01/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण –** भूमि आवेदक के नाम पर है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 124/खनिज/उ.प./2021 दुर्ग, दिनांक 19/05/2021 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई है, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट –** वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** कार्यालय वनमण्डलाधिकारी दुर्ग वनमण्डल, दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2021/859 दुर्ग, दिनांक 22/02/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 25 कि.मी की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी –** निकटतम आबादी ग्राम–सेलूद 820 मीटर, स्कूल ग्राम–सेलूद 1.7 कि.मी. एवं अस्पताल सेलूद 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 370 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र –** परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,22,000 टन, माईनेबल रिजर्व 43,388 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 48,209 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 6,588 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 7.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर एवं मात्रा 6,547.5 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 8 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	6,000
द्वितीय	6,000
तृतीय	6,000
चर्तुथ	6,000
पंचम	6,000

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
षष्टम	6,000
सप्तम	6,000
अष्टम	6,206

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,647 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. प्रस्तुत अनुमोदित क्वारी प्लान के अनुसार लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 3,847 वर्गमीटर है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक के द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं किया जाएगा, इस हेतु उनके द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र में क्रशर की स्थापना नहीं किये जाने का उल्लेख करते हुये संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य मार्च 2022 से मई 2022 के मध्य किया गया है। इस हेतु उनके द्वारा पूर्व में दिनांक 22/02/2022 को सूचना दी गई।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य

(ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1650(ए)/खनि. लि.02/खनिज/2022 दुर्ग, दिनांक 24/01/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 7 खदानें रकबा 9.177 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–सेलूद) का रकबा 1.48 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–सेलूद) को मिलाकर कुल रकबा 10.657 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

iii. Project proponent shall submit the source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.

iv. Project proponent shall submit the revised mining plan without incorporating the crusher.

v. Project proponent shall obtain due permission / authorization from DGMS for controlled blasting & incorporate the permission copy in the EIA report.

vi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

vii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

viii. Project proponent shall submit the detail proposal of plantation, incorporating the plant cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost.

ix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स सेलूद लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.–श्री हिमांशु बघेल), ग्राम–सेलूद, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1867)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/70020/2021, दिनांक 11/12/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सेलूद, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 324/2, 325 एवं 326, कुल क्षेत्रफल–1.13 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–6,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/03/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 31/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री हिमांशु बघेल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सेलूद का दिनांक 23/12/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 926/खनि.अनु–01/2021 दुर्ग, दिनांक 13/09/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1063/खनि. लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 12/10/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 7 खदानें, रकबा 9.527 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1063/खनि. लि. 02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 12/10/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर,

अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 126/खनिज/उ.प./2021 दुर्ग, दिनांक 19/05/2021 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई है, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्री प्रदीप कुमार के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी दुर्ग वनमण्डल, दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2020/4303 दुर्ग, दिनांक 14/11/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र से 50 कि.मी की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सेलूद 820 मीटर, स्कूल ग्राम–सेलूद 1.7 कि.मी. एवं अस्पताल सेलूद 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 370 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,81,375 टन, माईनेबल रिजर्व 1,02,097 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 91,887 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,722 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर एवं मात्रा 10,326 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 17 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं किया जाएगा। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	6,000
द्वितीय	6,000
तृतीय	6,000
चर्तुथ	6,000
पंचम	6,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,104 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य मार्च 2022 से मई 2022 के मध्य किया गया है। इस हेतु उनके द्वारा पूर्व में दिनांक 21/02/2022 को सूचना दी गई।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1063/खनि. लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 12/10/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 7 खदानें रकबा 9.527 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–सेलूद) का रकबा 1.13 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–सेलूद) को मिलाकर कुल रकबा 10.657 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संधालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

    i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

    ii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

iii. Project proponent shall submit the source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.

iv. Project proponent shall obtain due permission / authorization from DGMS for controlled blasting & incorporate the permission copy in the EIA report.

v. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

vi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

vii. Project proponent shall submit the detail proposal of plantation for 5 years, incorporating the plant cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost.

viii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स श्री पारसनाथ मिनरल्स (पार्टनर– श्री रूपेश कुमार जैन, किरारी लाईम स्टोन माईन), ग्राम–किरारी, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1868)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 244382/2021, दिनांक 11/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–किरारी, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 793/1, 793/4, 793/9 एवं 793/16, कुल क्षेत्रफल–2.87 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,48,093.13 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/03/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 31/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मुकेश कुमार जैन, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 793/1 एवं 793/9 कुल क्षेत्रफल – 1.823 हेक्टेयर, प्रथम वर्ष में अधिकतम क्षमता – 14,250 टन प्रतिवर्ष तथा शेष वर्षों में क्षमता माईनिंग प्लान अनुसार, हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–जांजगीर–चांपा द्वारा दिनांक 22/03/2017 को जारी की गई।

ii. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत नहीं की गई है।

iii. पूर्व मे जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत किरारी का दिनांक 18/08/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एंड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 325/खनि/उ.यो.अ./2017 कोरबा, दिनांक 04/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 5928/ख.लि./न.क्र./2020–21 जांजगीर, दिनांक 26/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 71 खदानें रकबा 117.526 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 5174/खनि./न.क्र./2020–21 जांजगीर दिनांक 03/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, राजमार्ग, राष्ट्रीय राज्यमार्ग एवं रेल लाईन आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 4900/गौण खनिज/न.क्र./2020–21 जांजगीर, दिनांक 07/01/2020 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई है, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि मुकेश कुमार एवं रूपेश कुमार के नाम पर है। उत्खनन हेतु पार्टनरशीप डीड की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी जांजगीर चांपा वनमण्डल, चांपा के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./6768 चांपा, दिनांक 20/10/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र से 20 कि.मी की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–किरारी 1.7 कि.मी., स्कूल ग्राम–किरारी 3.5 कि.मी. एवं अस्पताल अकलतरा 7.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 24 कि.मी. दूर है। नहर 50 मीटर एवं बरसाती नाला 115 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय

संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 20,51,262 टन, माईनेबल रिजर्व 10,27,287 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 9,75,923 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,160 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर एवं मात्रा 11,170 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसका क्षेत्रफल 1,200 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,44,934.38
द्वितीय	1,46,276.25
तृतीय	1,48,093.13
चर्तुथ	1,00,035.00
पंचम	1,00,106.25

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
षष्टम	99,750.00
सप्तम	1,00,462.50
अष्टम	1,00,070.63
नवम	18,168.75
दशम	18,026.25

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.81 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,032 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत गूगल मैप पर लीज क्षेत्र से 40 मीटर की दूरी पर बरसाती नाला होना पाया गया। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र की सीमा से बरसाती नाला तक कुल 50 मीटर की दूरी छोड़ते हुए, लीज क्षेत्र में 10 मीटर बरसाती नाला के तरफ ब्लॉक करते हुए रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य

(ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर-चांपा के ज्ञापन क्रमांक 5928/ख.लि./न.क्र./2020-21 जांजगीर, दिनांक 26/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 71 खदानें, रकबा 117.526 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-किरारी) का रकबा 2.87 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-किरारी) को मिलाकर कुल रकबा 120.396 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

   i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

   ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

   iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

   iv. Project proponent shall submit point wise compliance report of previous Environmental Clearance.

   v. Project proponent shall submit the revised approved quarry plan maintaining minimum 50 meter distance from the seasonal nallah and accordingly submit the reserve calculations.

   vi. Project proponent shall submit the copy of partner deed.

   vii. Project proponent shall submit NOC for usage of water from competent authority.

   viii. Project proponent shall obtain due permission / authorization from DGMS for controlled blasting & incorporate the permission copy in the EIA report.

   ix. Project proponent shall submit previous year production details from mining department.

x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. Project proponent shall submit the details of crusher with capacity and air pollution control arrangement in crusher.

xiii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

xiv. Project proponent shall submit the detail proposal of plantation for 5 years, incorporating the plant cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost.

xv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स लालपुर लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री हर्षित शर्मा), ग्राम–लालपुर, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1870)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 70047 / 2021, दिनांक 13 / 12 / 2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–लालपुर, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 274 / 7, कुल क्षेत्रफल–1.214 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 6,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25 / 03 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 31 / 03 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री हर्षित शर्मा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है
2. समिति का मत है कि पूर्व में खनिज साधन विभाग से खनन हेतु अनुमति में अधिरोपित शर्तों के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत लालपुर का दिनांक 27 / 09 / 2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. **उत्खनन योजना** – नॉडिफिकेशन्स ऑफ द अप्रुव्हड माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक रायपुर/ चुप/ खयो–1288/ 2021–रायपुर/ 223, दिनांक 10/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 860/ख.लि./तीन–6/2021 रायपुर, दिनांक 28/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 4.479 हेक्टेयर है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 860/ख.लि./तीन–6/2021 रायपुर, दिनांक 28/09/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, अस्पताल, स्कूल, पुल, रेल लाईन, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। पूर्व में लीज स्व. श्री योगेन्द्र शर्मा के नाम पर थी। तत्पश्चात् लीज का हस्तांतरण दिनांक 08/06/2020 को श्री हर्षित शर्मा के नाम पर किया गया है। लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 30/07/2002 से 29/07/2022 तक की अवधि हेतु वैध है। तत्पश्चात् लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 30/07/2022 से 29/07/2052 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–लालपुर 610 मीटर, स्कूल ग्राम–खुर्द 100 मीटर एवं अस्पताल ग्राम–डोंदेखुर्द 1.25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 270 मीटर दूर है। तालाब 740 मीटर एवं नहर 330 मीटर दूर है। बरसाती नाला 3.4 कि.मी. एवं खारून नदी 16 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 68,550 टन, माईनेबल रिजर्व 47,840 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 46,883 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,720 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर एवं मात्रा 380 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 7.97 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2021–22	6,000
2022–23	5,640
2023–24	5,250
2024–25	5,600
2025–26	5,880

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.44 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 780 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी क्षेत्रफल 3,720 वर्गमीटर में से 2,380 वर्गमीटर क्षेत्र 2 मीटर गहराई तक उत्खनित है। जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 दिसम्बर 2021 से किये जाने हेतु उनके द्वारा पूर्व में दिनांक 14/12/2021 को सूचना दी गई।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि क्लस्टर क्षेत्र में शामिल श्री अखिलेश कुमार सिंह, मेसर्स लालपुर लाईम स्टोन माईन को पूर्व में दिनांक 15/02/2019 को टी.ओ.आर. जारी की गई है। ई.आई.ए. स्टडी हेतु बेसलाईन डाटा कलेक्शन संयुक्त रूप से दोनों के द्वारा किया गया है।

17. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by

SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 860 / ख.लि. / तीन–6 / 2021 रायपुर, दिनांक 28 / 09 / 2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान है, जिसका क्षेत्रफल 4.479 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–लालपुर) का रकबा 1.214 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–लालपुर) को मिलाकर कुल रकबा 5.693 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत / संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग कियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स / एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

   ii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

   iii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery were previously mining has been done & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.

   iv. Project proponent shall submit the point wise compliance report of previous permission for mining from the mining department.

v. Project proponent shall obtain due permission / authorization from DGMS for controlled blasting & incorporate the permission copy in the EIA report.

vi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

vii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

viii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

ix. Project proponent shall submit the detail proposal of plantation for 5 years, incorporating the plant cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost.

x. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स पी. जबलपुर सेण्ड क्वारी (प्रो.– श्री अभिषेक पाण्डेय), ग्राम–जबलपुर, तहसील–खरसिया, जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1872)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 243522/ 2021, दिनांक 14/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत (गौण खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम–जबलपुर, तहसील–खरसिया, जिला–रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 94, कुल क्षेत्रफल–4.5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन मांड नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 54,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/03/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 31/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अभिषेक पाण्डेय, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत जबलपुर का दिनांक 07/11/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

4. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी जिला–रायगढ़ के पृ. ज्ञापन क्रमांक 1384ए/ख.लि.–3/रेत/2021 रायगढ़, दिनांक 13/07/2021 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1385/ख.लि.–3/रेत/2021 रायगढ़, दिनांक 13/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1385/ख.लि.–3/रेत/2021 रायगढ़, दिनांक 13/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण्य पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री अभिषेक पाण्डेय के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 806/ख.लि.–3/रेत नीलामी/2021 रायगढ़, दिनांक 13/04/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल जिला–रायगढ़, के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./5738/2021 रायगढ़, दिनांक 02/11/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 1.36 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–जबलपुर 900 मीटर एवं स्कूल ग्राम–जबलपुर 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट/पुल स्थित नहीं है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 399 मीटर, न्यूनतम 305 मीटर तथा खनन स्थल की औसत लंबाई 342 मीटर, औसत चौड़ाई 142 मीटर है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 150 मीटर, न्यूनतम 45 मीटर है।

13. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 5 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 54,000 घनमीटर है। प्रस्तुत पंचनामा में पीट की जानकारी एवं रेत की गहराई का

उल्लेख नहीं किया गया है। समिति का मत है कि रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का उल्लेख करते हुए पंचनामा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 25/11/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
6	2%	0.12	Following activities at Nearby, Government Middle School Village- Jabalpur	
			Rain Water Harvesting System	0.2
			Running Water Facility for Toilets	0.2
			Potable Drinking Water Facility	0.15
			Plantation	0.12
			Total	0.67

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स श्रीमती नीलकमल सिंह (तरौद लाईम स्टोन माईन), ग्राम–तरौद, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1597)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/203140/2021, दिनांक 12/03/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 19/03/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 15/12/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–तरौद, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 885/1, 885/2 एवं 886/1घ, कुल क्षेत्रफल–1.311 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–30,542.5 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/03/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 31/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शांत कुमार सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत तरौद का दिनांक 10/08/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र में क्रशर का उल्लेख नहीं है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एंड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.) जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 337/खनि/उ.यो.अ./2017 कोरबा, दिनांक 04/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 5929/ख.लि./न.क्र./2020–21 जांजगीर दिनांक 26/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 71 खदानें, रकबा 119.085 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 5175/खनि./न.क्र./2020–21 जांजगीर दिनांक 03/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, राजमार्ग, राष्ट्रीय राज्यमार्ग, रेल लाईन एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि आवेदक के नाम पर है। एल. ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 4904/गौण खनिज/न.क्र./2020–21 जांजगीर, दिनांक 07/01/2020 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई है, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी जांजगीर चांपा वनमण्डल, चांपा के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./6767 चांपा, दिनांक 20/10/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र से 25 कि.मी की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–तरौद 0.53 कि.मी., स्कूल ग्राम–तरौद 1 कि.मी. एवं अस्पताल अकलतरा 7.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.45 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 24.4 कि.मी. दूर है। तलाब 50 मीटर एवं नहर 215 मीटर दूरी है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 5,73,562 टन, माईनेबल रिजर्व 2,03,112 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,92,956 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौडी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,110 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। लीज क्षेत्र मे ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर एवं मात्रा 3,565 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 1,870 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	30,103.13
द्वितीय	30,542.50
तृतीय	30,281.25
चर्तुथ	14,962.50
पंचम	15,140.63

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
षष्टम	15,461.25
सप्तम	14,250.00
अष्टम	14,071.88
नवम	14,036.25
दशम	14,107.50

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.44 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 822 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **माननीय एन.जी.टी.**, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 5929/ख.लि./न.क्र./2020–21 जांजगीर दिनांक 26/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 71 खदानें रकबा 119.085 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–तरौद) का रकबा 1.311 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–तरौद) को मिलाकर कुल रकबा 120.396 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्टस हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

    i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

    ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

    iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

    iv. Project proponent shall submit the copy of extended LOI.

    v. Project proponent shall submit the Gram Panchayat NOC for Crusher.

vi. Project proponent shall submit NOC for usage of water from competent authority.

vii. Project proponent shall obtain due permission / authorization from DGMS for controlled blasting & incorporate the permission copy in the EIA report.

viii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

x. Project proponent shall submit the detail proposal of plantation for 5 years, incorporating the plant cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost.

xi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स कृष्णा मिनरल्स (पार्टनर– श्री आनंद डालमिया एवं श्री कृष्णा अग्रवाल, किरारी लाईम स्टोन माईन), ग्राम–किरारी, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1599)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/203063/2021, दिनांक 12/03/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 19/03/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 15/12/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–किरारी, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 793/15, 793/18, 792/1, 791, 792/2, 792/3 एवं 792/4, कुल क्षेत्रफल – 1.62 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–43,420.94 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/03/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 31/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रदीप अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

ii. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत नहीं की गई है।

समिति का मत है कि पूर्व में खनिज साधन विभाग से खनन हेतु अनुमति में अधिरोपित शर्तों के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत किरारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक सहित पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एंड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.) जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 333/खनि/उ.यो.अ./2017 कोरबा, दिनांक 04/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 5930/खनि./न.क./2020–21 जांजगीर दिनांक 26/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 71 खदानें, रकबा 118.776 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 5172/खनि./न.क./2020–21 जांजगीर दिनांक 03/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, राजमार्ग, राष्ट्रीय राज्यमार्ग, रेल लाईन एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 4913/गौण खनिज/न.क./2020–21 जांजगीर, दिनांक 07/01/2020 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई है, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई है।

7. **भू–स्वामित्व** – खसरा क्रमांक 793/15, 793/18, 792/1 श्री कृष्णा अग्रवाल एवं खसरा क्रमांक 791, 792/2, 792/3, 792/4 श्री आनंद डालमिया के नाम पर है। उत्खनन हेतु पार्टनरशीप डीड की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी जांजगीर चांपा वनमण्डल, चांपा के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./8000 चांपा, दिनांक 15/12/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 3 कि.मी की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–किरारी 1.9 कि.मी., स्कूल ग्राम–किरारी 2.25 कि.मी. एवं अस्पताल अकलतरा 7.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.1 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 24.4 कि.मी. दूर है। नहर 50 मीटर दूरी है।

11. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 9,12,250 टन, माईनेबल रिजर्व 3,33,347 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 3,16,680 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,165 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 27 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर एवं मात्रा 6,781.5 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं किया जाएगा। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	43,420.94
द्वितीय	43,420.94
तृतीय	39,992.63
चर्तुथ	39,850.13
पंचम	39,900.00

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
षष्टम	22,443.75
सप्तम	21,966.38
अष्टम	21,795.38
नवम	22,087.50
दशम	21,802.50

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.48 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 831 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

19. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी क्षेत्रफल 4,165 वर्गमीटर में से 1,528 वर्गमीटर क्षेत्र 8.5 मीटर गहराई तक उत्खनित है। जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

20. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक VIII (i) के अनुसार–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

21. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 5930/खनि./न.क्र./2020–21 जांजगीर दिनांक 26/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 71 खदानें रकबा 118.776 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–किरारी) का रकबा 1.62 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–किरारी को मिलाकर कुल रकबा 120.396 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए.

/ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

iv. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.

v. Project proponent shall submit previous year production details from mining department.

vi. Project proponent shall submit the point wise compliance report of previous permission for mining from the mining department.

vii. Project proponent shall submit the copy of lease deed extension.

viii. Project proponent shall obtain due permission / authorization from DGMS for controlled blasting & incorporate the permission copy in the EIA report.

ix. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery were previously mining has been done & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.

x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

xiii. Project proponent shall submit the detail proposal of plantation for 5 years, incorporating the plant cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost.

xiv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3: परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों में अवलोकन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. **मेसर्स कृष्णा आयरन स्ट्रीप्स एण्ड ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड, उरला इण्डस्ट्रियल एरिया, ग्राम–सरोरा, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 622)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 29609/2017, दिनांक 20/10/2018 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 221170/2021, दिनांक 22/07/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् ग्राम–सरोरा, उरला औद्योगिक क्षेत्र, जिला–रायपुर स्थित प्लाट क्रमांक 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821A, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835A, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847 एवं 848A, कुल क्षेत्रफल – 2.667 हेक्टेयर (6.59 एकड़) के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यकलाप हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन बाबत् आवेदन किया गया है:–

कार्यकलाप	ई.सी. आदेश अनुसार स्थापित क्षमता (टन प्रतिवर्ष)	ई.सी. में वांछित संशोधन (टन प्रतिवर्ष)	ई.सी. में वांछित संशोधन उपरांत प्रस्तावित क्षमता (टन प्रतिवर्ष)
बिलेट्स/इंगाट	1,20,000	–	1,20,000
सी.सी.एम. एवं हॉट चार्ज आधारित रोलिंग मिल	1,08,000	प्रतिस्थापित (Replaced)	प्रतिस्थापित (Replaced)
रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल	12,000	1,08,000	1,20,000
एम.एस. पाईप एण्ड ट्यूब्स	1,20,000	–	1,20,000
गैल्वेनाइजिंग ऑफ पाईप एण्ड ट्यूब एण्ड फेब्रिकेटेड आईटम्स	34,600	–	34,600
फेब्रिकेशन युनिट	34,600	–	34,600

पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु परियोजना की विनियोग रुपये 3 करोड़ होगी।

जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:– एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/02/2019 द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् ग्राम–सरोरा, उरला औद्योगिक क्षेत्र, जिला–रायपुर स्थित प्लाट क्रमांक 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821A, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835A, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847 एवं 848A, कुल क्षेत्रफल – 2.667 हेक्टेयर (6.59 एकड़) के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यकलाप हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है:–

कार्यकलाप	स्थापित क्षमता	क्षमता विस्तार उपरांत प्रस्तावित क्षमता

इण्डक्शन फर्नेस यूनिट विथ सी.सी.एम. से बिलेट्स / इंगाट उत्पादन हेतु	34,600 टन प्रतिवर्ष	1,20,000 टन प्रतिवर्ष
रोलिंग मिल से री–रोल्ड प्रोडक्ट्स उत्पादन हेतु	34,600 टन प्रतिवर्ष	1,20,000 टन प्रतिवर्ष (1)
एम.एस. पाईप एण्ड ट्यूब	34,600 टन प्रतिवर्ष	1,20,000 टन प्रतिवर्ष
गैल्वेनाइजिंग ऑफ पाईप एण्ड ट्यूब एण्ड फेब्रिकेटेड आईटम्स	34,600 टन प्रतिवर्ष	34,600 टन प्रतिवर्ष
फेब्रिकेशन युनिट	34,600 टन प्रतिवर्ष	34,600 टन प्रतिवर्ष

(1) कुल 1,20,000 टन प्रतिवर्ष रोल्ड प्रोडक्ट्स में से 1,08,000 टन प्रतिवर्ष का उत्पादन ऑनलाईन हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल से लगे हुये इण्डक्शन फर्नेस यूनिट विथ सी.सी.एम. से किया जाएगा एवं शेष 12,000 टन प्रतिवर्ष रोल्ड प्रोडक्ट्स का उत्पादन बिलेट री–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल से किया जाना प्रस्तावित है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 25/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रभाकर लाल दास, प्लांट मैनेजर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत जानकारी में विषमता होने के कारण दिनांक 31/08/2021 को उनके द्वारा जानकारियों का पुन:परीक्षण कर समिति के समक्ष आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रभाकर कुमार लाल दास, मैनेजर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स ए.एम.पी.आई. इन्वायरो प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री निखिल आहुजा उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Land use	Area (in SQM)	Area (%)
1.	Induction Area	2,800	10.05
2.	Rolling Mill	4,000	15.02
3.	GI Pipes & Fabriction unit	4,868	18.23
4.	Raw Material Yard	2,000	7.51
5.	Finished material & slag yard	1,500	5.63
6.	Road Area	900	3.40
7.	Open Area	1,800	6.70
8.	Greenbelt	8,802	33.01
Total		**26,670**	**100**

2. रॉ–मटेरियल –

S. No.	Raw Material	Existing Quantity	After Amendment Quantity
1.	Sponge Iron	1,14,000 TPA	1,14,000 TPA
2.	Scrap	24,000 TPA	24,000 TPA
3.	Alloys	1,200 TPA	1,200 TPA
4.	Coal	5 TPD	36 TPD
5.	Lime	-	63 TPA

3. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस एवं रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु सेन्ट्रल डस्ट कलेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर स्थापित है। प्रस्तावित संशोधन उपरांत रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु पी.टी.एफ.ई. बेग फिल्टर एवं 33 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित किया गया है। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाता है। गेल्वेनाइजिंग प्लांट में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु फ्युम एक्सट्रेक्शन सिस्टम एवं 33 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित है। यही व्यवस्था प्रस्तावित संशोधन उपरांत अपनाई जाएगी।

4. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन की मात्रा का उल्लेख किया गया था एवं वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पार्टिकुलेट मेटर के लिए प्रस्तुत गणना में उत्सर्जन की मात्रा में भिन्नता है। समिति का मत है कि उक्त का स्पष्टीकरण किया जाना आवश्यक है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा के दौरान बताया गया कि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार एस.ओ.$_2$ उत्सर्जन की मात्रा 18,000 किलोग्राम प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित संशोधन हेतु स्टैक इनलेट के पहले लाईम डोसिंग इकाई स्थापित की जाएगी, जिससे एस.ओ.$_2$ उत्सर्जन की मात्रा 16,800 किलोग्राम प्रतिवर्ष होगी।

6. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – प्रस्तावित संशोधन उपरांत रोलिंग मिल से स्लेग – 17,100 टन प्रतिवर्ष, यूस्ड ऑयल – 0.21 घनमीटर प्रतिवर्ष, लाईम स्लज – 153 टन प्रतिवर्ष एवं ऐश – 13 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। स्लेग को स्लेग प्रोसेसिंग यूनिट को विक्रय किया जाएगा। यूस्ड ऑयल को अधिकृत रिसाईकलर को विक्रय किया जाएगा। लाईम स्लज को सीमेंट उद्योग को विक्रय किया जाएगा। ऐश को ईंट निर्माण इकाई को उपलब्ध कराया जाएगा।

7. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 98 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 09 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 89 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन उपरांत परियोजना हेतु कुल 115 घनमीटर प्रतिदिन (कुलिंग हेतु 82 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 15 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। पूर्व में आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल

ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी द्वारा 32,340 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जारी की गई थी, जिसकी वैधता दिनांक 07/02/2021 तक थी। वर्तमान में आवश्यक जल की आपूर्ति सी.एस.आई.डी.सी. के माध्यम से की जाती है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन किया जाना बताया गया है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु ई.टी.पी. (न्यूट्रिलाईजेशन सिस्टम) स्थापित है। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। प्रस्तावित संशोधन उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 8 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित संशोधन हेतु अपनाई जाएगी।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 18,313 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 12 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया गया है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किये गये कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

8. **विद्युत खपत** – वर्तमान में परियोजना हेतु लगभग कुल 14.89 मेगावॉट विद्युत खपत होती है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 150 के.व्ही.ए. (02 नग x 75 के.व्ही.ए.) का डी.जी. सेट स्थापित है। यही व्यवस्था प्रस्तावित संशोधन उपरांत अपनाई जाएगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि परिसर के भीतर सोलर प्लांट की स्थापना किया गया है। समिति का मत है कि सोलर प्लांट की क्षमता एवं फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.88 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में 2,200 नग पौधे रोपित किया गया है तथा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार 33 प्रतिशत में से शेष 0.213 हेक्टेयर (8 प्रतिशत) वृक्षारोपण के स्थान पर दुगुना वृक्षारोपण 0.426 हेक्टेयर (16 प्रतिशत) का कार्य किये जाने हेतु अटल नगर विकास प्राधिकरण में राशि रूपये 20,16,000/– जमा किया गया है। साथ ही उनके द्वारा उद्योग परिसर के 5 किलोमीटर के भीतर 0.364 हेक्टेयर क्षेत्र में कुल 910 नग पौधे लगाया जाना बताया गया है। इस प्रकार कुल 1.244 हेक्टेयर (40 प्रतिशत) क्षेत्र में 3,110 नग पौधे रोपित किया जाना बताया गया है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण के रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाना आवश्यक है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्थल निरीक्षण उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
1015	1%	10.15	Following activities at 10 Nearby Government Schools	
			Rain Water Harvesting System	6.09
			Running Water Facility for Toilets	1.80
			Potable Drinking Water Facility with 3 year AMC	1.75
			Plantation with Fencing	1.00
			Total	**10.64**

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का कार्य (1) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–खुडमुडी, (2) शासकीय शाला ग्राम–खांगेरपेट (3) शासकीय शाला ग्राम–गोदामोर, (4) शासकीय शाला ग्राम–बोहरडीह, (5) शासकीय शाला ग्राम–भूरकोनी, (6) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–माधी, (7) शासकीय शाला ग्राम–निनवा, (8) शासकीय शाला ग्राम–सनगुनी, (9) शासकीय शाला ग्राम–भरदा एवं (10) शासकीय शाला ग्राम–भेरवा में किया जाएगा।

11. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि वर्तमान मे स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित संशोधन हेतु एनर्जी बैलेंस, वॉटर बैलेंस एवं रॉ–मटेरियल बैलेंस चार्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. वर्तमान मे स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत एनर्जी बैलेंस, वॉटर बैलेंस एवं रॉ–मटेरियल बैलेंस प्रस्तुत किया जाए।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन की मात्रा का उल्लेख किया गया था एवं वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पार्टिकुलेट मेटर के लिए प्रस्तुत गणना में उत्सर्जन की मात्रा में भिन्नता है। समिति का मत है कि उक्त का स्पष्टीकरण किया जाए।
4. सोलर प्लांट की क्षमता (फोटोग्राफ्स सहित) एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया जाए।
5. जल आपूर्ति हेतु सीएसआईडीसी/जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रति प्रस्तुत किया जाए।
6. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 11/03/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 30/03/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्नानुसार स्थिति पाई गई कि:–

1. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।
2. वर्तमान मे स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत एनर्जी बैलेंस, वॉटर बैलेंस एवं रॉ–मटेरियल बैलेंस प्रस्तुत किया गया है।
3. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में इण्डक्शन फर्नेस–1, रि–हीटिंग फर्नेस एवं जी.आई. पाईप इकाई से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार उत्सर्जन की मात्रा 4,104 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत इण्डक्शन फर्नेस–1, रि–हीटिंग फर्नेस एवं जी.आई. पाईप इकाई से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार उत्सर्जन की मात्रा 3,402 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल उत्पन्न होगा, अपितु रोलिंग मिल के कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। प्रस्तावित संशोधन उपरांत रोलिंग मिल से स्लेग – 17,100 टन प्रतिवर्ष, यूस्ड ऑयल – 0.21 घनमीटर प्रतिवर्ष, लाईम स्लज – 153 टन प्रतिवर्ष एवं ऐश – 13 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा तथा (3) जल उपभोग की मात्रा में वृद्धि (2,700 घनमीटर) होना संभावित है, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु उद्योग परिसर में वर्षाजल के कुल रनऑफ (18,313 घनमीटर) का भू–गर्भ में रिचार्ज करना प्रस्तावित है।
4. उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा। इस बाबत् उद्योग प्रबंधन द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. सोलर प्लांट की क्षमता (फोटोग्राफ्स सहित) एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की फोटोग्राफ्स प्रस्तुत की गई है।
6. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से दिनांक 08/02/2021 से 07/02/2024 तक अनुमति प्राप्त की गई है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** मेसर्स कृष्णा आयरन स्ट्रीप्स एण्ड ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–सरोरा, उरला औद्योगिक क्षेत्र, जिला–रायपुर स्थित प्लाट क्रमांक 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821A, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835A, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847 एवं 848A, कुल क्षेत्रफल – 2.667 हेक्टेयर (6.59 एकड) के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यकलाप के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन

हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन दिए जाने की अनुशंसा की गई:–

कार्यकलाप	ई.सी. आदेश अनुसार स्थापित क्षमता (टन प्रतिवर्ष)	ई.सी. में वांछित संशोधन (टन प्रतिवर्ष)	ई.सी. में वांछित संशोधन उपरांत प्रस्तावित क्षमता (टन प्रतिवर्ष)
बिलेट्स / इंगाट	1,20,000	–	1,20,000
सी.सी.एम. एवं हॉट चार्ज आधारित रोलिंग मिल	1,08,000	प्रतिस्थापित (Replaced)	प्रतिस्थापित (Replaced)
रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल	12,000	1,08,000	1,20,000
एम.एस. पाईप एण्ड ट्यूब्स	1,20,000	–	1,20,000
गैल्वेनाइजिंग ऑफ पाईप एण्ड ट्यूब एण्ड फेब्रिकेटेड आईटम्स	34,600	–	34,600
फेब्रिकेशन युनिट	34,600	–	34,600

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स शौर्य इस्पात उद्योग प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–किरना, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1560)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / आईएनडी / 60949 / 2021, दिनांक 18 / 02 / 2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / आईएनडी / 60946 / 2021, दिनांक 07 / 12 / 2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् ग्राम–किरना, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 247 / 2, 247 / 11, 247 / 15, 247 / 17, 270 / 2, 271 / 1, 271 / 3, 271 / 4, 272 / 1, 273, 274, 276 / 5, 276 / 10, 276 / 12, 276 / 13, 276 / 14, 276 / 15, 276 / 17, 276 / 18, 276 / 19, 276 / 20, 276 / 23, 276 / 24, 276 / 25, 276 / 26, 276 / 27, 276 / 29, 276 / 38, 276 / 40, 276 / 41, 276 / 42, 276 / 43, 276 / 44, 319 / 9, 320 / 18, 320 / 42 एवं 320 / 47, कुल क्षेत्रफल – 11.065 हेक्टेयर (27.33 एकड़) में इण्डक्शन फर्नेस से (एम.एस. बिलेट / इंगाट / हॉट बिलेट्स) – 30,000 टन प्रतिवर्ष (2 गुणा 6 टन) से 3,27,000 टन प्रतिवर्ष (2 गुणा 6 टन एवं 6 गुणा 15 टन), हॉट चार्ज आधारित रोलिंग मिल (टी.एम.टी. / वायर रॉड / पत्रा एवं अन्य री–रोल्ड प्रोडक्ट) – 30,000 टन प्रतिवर्ष से 3,21,750 टन प्रतिवर्ष, कोल गैसीफायर – 1 गुणा 6,500 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा एवं गैल्वेनाईजिंग यूनिट (एच.बी. वायर, जी.आई. वायर, बाईंडिंग वायर, वेल्ड मेश, चैन लिंक, बारबेड वायर, वेल्ड मेश, स्टे वायर, कोल्ड डिप,

रेक्टीफायर, वायर क्लॉथ) – 1,00,000 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत विनियोग की कुल लागत 37 करोड़ होगी।

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 26/06/2021 द्वारा प्रकरण 'बी–1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु जारी किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 401वीं बैठक दिनांक 04/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आशीष सौरभ केडिया, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेबोरट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री वाय. महेश्वर रेड्डी उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**
   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से री–रोल्ड प्रोडक्ट्स (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस) क्षमता–30,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तथा गेल्वेनाईजिंग यूनिट (एच.बी. वायर, जी.आई. वायर बाईडिंग वायर, वेड मेश, चैन लिंक, बारबेड वायर, वेल्डमेश, स्टे वायर, कोल्ड डिप, रेक्टीफायर, वायर क्लॉथ) – 1,00,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 10/09/2020 को जारी की गई है, जो उत्पादन प्रारंभ दिनांक से 1 वर्ष की अवधि हेतु वैध थी।
   - पूर्व में जारी सम्मति नवीनीकरण के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**
   - निकटतम आबादी ग्राम–मेहर राखा 0.9 कि.मी., रेलवे स्टेशन बैकुण्ठ 4.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.8 कि.मी. दूर है। कुल्हन नाला 5.1 कि.मी. की दूरी पर है।
   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
3. **भू–स्वामित्व** – भूमि मेसर्स शौर्य इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है। भूमि संबंधी दस्तावेज खसरा नक्शा (बी–1, पी–2) प्रस्तुत नहीं किया गया है। मेसर्स शौर्य इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड को न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायपुर के प्रकरण क्रमांक 202102111000103/अ–2 वर्ष 2020–21, आदेश दिनांक 08/03/2021 द्वारा "भूमि अकृषि कार्य में परिवर्तन होने के कारण उस पर निम्न अनुसूचित के खण्ड 5 में लिये गये अनुसार संशोधित राजस्व निर्धारण हो चुका है, जिसकी यथा विधि पुष्टिकरण हो गई है।" हेतु सूचना पत्र प्रारूप "अ" जारी किया गया है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – कुल क्षेत्रफल – 11.065 हेक्टेयर है, जिसमें से कव्हर्ड का क्षेत्रफल 2.86 हेक्टेयर, आंतरिक मार्ग का क्षेत्रफल 0.25 हेक्टेयर, पार्किंग क्षेत्रफल 0.125 हेक्टेयर, खुला क्षेत्रफल 4.03 हेक्टेयर तथा हरित पट्टिका हेतु क्षेत्रफल 3.78 हेक्टेयर (34.23 प्रतिशत) है।

5. **रॉ–मटेरियल** –

Quantity of Raw Material, Sources and Mode of Transport					
	Raw Material		**Quantity (TPA)**	**Sources**	**Mode of Transport**
1	**For Induction Furnace (MS Billets / Ingots / Hot Billets) - 2,97,000 TPA**				
A)	Sponge Iron		2,47,000	Raipur	By Road (through covered trucks)
B)	Scrap		1,06,000	Raipur	By Road (through covered trucks)
C)	Ferro Alloys		4,500	Raipur	By Road (through covered trucks)
2	**For Rolling Mill (TMT / Wire Rod / patra / and other Rerolled Products) – 2,91,750 TPA**				
A)	MS Billets/ steel ingots		3,12,100	Own generation	-
3	**Coal Gasifire (Producer gas - 6,500 Nm^3/ hour)**				
A)	Coal	Indian Coal	21,500	SECL	By Rail & Road (through covered trucks)
		or			
		Imported Coal	13,700	Indonasia / Australia	By sea route, By Rail & Road (through covered trucks)

6. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

S. No.	Unit	Existing Capacity (TPA)	Proposed Additional Facilities	After Expansion Capacity (TPA)
1.	Induction Furnace (MS Billets / Ingots Hot Billets)	30,000 (By 2x6 T Induction Furnace & 1x90 TPD Rolling Mill)	2,97,000 (6x15 T)	3,27,000 (2x6 T & 6x15 T)
2.	Rolling Mill (TMT / Wire Rod / Patra / and other rerolled products)		2,91,750 (Upgradation of 90 TPD to 325 TPD & New 2 x 325 TPD)	3,21,750 (3 x 325 TPD)
3.	Coal Gasifier	-	1 x 6,500 NM^3/Hr	1 x 6,500 NM^3/Hr

4.	Galvanising unit (HB wire, GI wire, Binding wire, Wed mesh, Chain Link, Barbed Wire, Weld Mesh, Stay Wire, Cold Dip, Rectifier, Wire Cloth)	1,00,000 TPA	-	1,00,000 TPA

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि रोल्ड प्रोडक्ट्स का उत्पादन 85 प्रतिशत हॉट चार्जिंग एवं 15 प्रतिशत रि–हीटिंग फर्नेस कोल गैसीफायर आधारित रोलिंग मिल से किया जाएगा।

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु फयूम एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ 3 नग बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया गया है। रि–हीटिंग फर्नेस कोल गैसीफायर आधारित रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु 47 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया गया है। उक्त इकाईयों से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाएगा। फयुजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी। हॉट गैस फायरिंग के द्वारा प्रस्तावित गैसीफायर का संचालन किया जाएगा। फिनॉलिक बॉटर उत्पन्न नहीं होगा।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** –

S. No.	Waste	Quantity (In TPA)	Method of Disposal
From Induction Furnace			
1.	Slag	29,700	Slag from SMS will be Crushed and Iron will be recovered and remaining non magnetic material being inert by nature will be used as sub base material in road construction/ will be given to brick manufacturer.
From Rolling Mill			
1.	Mill Scales	3,501	Mill Scales will be given to nearby ferro alloys manufacturing unit or casting unit.
2.	End Cuting	11,085	Recycled back as raw material in own induction furnace.
From Gasifier			
1.	Tar	461	Will be given to Tar recyclers/ Agencies Engaged in construction Activities/ given to nearby Pellet plant units.
2.	Cinder	9,680	Will be given to cement plant.

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 52 घनमीटर प्रतिदिन (गेल्वेनाईजिंग इकाई हेतु 50 घनमीटर प्रतिदिन एवं घरेलू उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 412 घनमीटर जल प्रतिदिन (इण्डक्शन फर्नेस हेतु 130 घनमीटर प्रतिदिन, रोलिंग मिल हेतु 190 घनमीटर प्रतिदिन, कोल गैसीफायर हेतु 30 घनमीटर प्रतिदिन, गेल्वेनाईजिंग इकाई हेतु 50 घनमीटर

प्रतिदिन एवं घरेलू उपयोग हेतु 12 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है एवं प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु जल की आपूर्ति भू–जल से किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी द्वारा 15,130 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जारी की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 03/12/2023 तक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल औद्योगिक दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग किया जाएगा। साथ ही ई.टी.पी. (न्यूट्रिलाईजेशन सिस्टम) की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। ई.टी.पी. से उपचारित जल को डस्ट सप्रेशन में उपयोग किया जाएगा। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है।
- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–
  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 36,425 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 6 नग रिचार्ज पिट (व्यास 4 मीटर, गहराई 5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु 33.2 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट स्थापित है। समिति का मत है कि स्थापित एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत विद्युत की मात्रा एवं आपूर्ति की जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 3.78 हेक्टेयर (34.23 प्रतिशत) क्षेत्र में 20 मीटर से 40 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में 2,500 नग प्रति हेक्टेयर पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है।
12. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**
    i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 01 अक्टूबर से 31 दिसम्बर 2020 के मध्य किया गया है। 10 कि.मी. के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता

मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 12.6 से 39.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 20.7 से 65.3 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 6.2 से 10.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 7.3 से 19.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेशीय वायु में जी.एल.सी. (GLC) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार परियोजना के प्रारंभ होने के उपरांत पी.एम. की मात्रा 66.65 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि, डी.जी. सेट से सल्फर डाईआक्साईड की मात्रा 14.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि एवं एनओ$_{एक्स}$ की मात्रा 28.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि होगी।

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 41 डीबीए से 54 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 32 डीबीए से 41 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

v. भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 2,590 पी.सी.यू. प्रतिदिन है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 3,232 पी.सी.यू. प्रतिदिन होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक के भीतर है।

13. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही स्कूल में पर्यावरण संबंधी पुस्तक (स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप) एवं उनके रख–रखाव हेतु आलमिरा का भी प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

14. **लोक सुनवाई का विवरण** – लोक सुनवाई दिनांक 23/09/2021 प्रातः 11:00 बजे, स्थान – ग्राम–किरना, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 30/10/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

15. उद्योग प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) में प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना के विनियोग की कुल लागत 37 करोड़ होना बताया गया है, जिसका ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. वर्तमान स्थिति में विनियोग की कुल लागत का ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाए।
2. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. उद्योग की स्थापना हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. भूमि संबंधी दस्तावेज खसरा नक्शा (बी–1, पी–2) प्रस्तुत किया जाए।
5. वर्तमान में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उद्योग का लेण्ड एरिया स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाए।
6. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु रोलिंग मिल में स्थापित इकाईयों एवं चिमनी की गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
7. वर्तमान इकाई एवं प्रस्तावित इकाई मे कार्यरत श्रमिकों की संख्या के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
8. परिवहन, कच्चे माल की लोडिंग–अनलोडिंग, सभी ट्रांसफर पाईंट्स, कन्वेयरिंग पाईंट्स, मार्गों आदि से होने वाले धूल उत्सर्जन के नियत्रंण हेतु स्थापित एवं प्रस्तावित व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
9. चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने बाबत् विस्तृत गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही प्रदूषण भार में कितनी वृद्धि होगी स्पष्ट रूप से बताया जाए।
10. वर्तमान मे स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत हीट बैलेंस, एनर्जी बैलेंस, रॉ–मटेरियल बैलेंस एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था प्रस्तुत किया जाए।
11. उद्योग के विभिन्न इकाईयों तथा 40 प्रतिशत वृक्षारोपण को दर्शाते हुए ले–आउट प्लान प्रस्तुत की जाए।
12. कुल क्षेत्रफल का 40 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्रस्ताव सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
13. स्थापित एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत विद्युत की मात्रा एवं आपूर्ति की जानकारी तथा वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
14. लोक सुनवाई में उठाये गये मुद्दों के निराकरण की दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही की कार्य योजना सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in Hindi) में प्रस्तुत किया जाए।
15. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही स्कूल में पर्यावरण संबंधी पुस्तक (स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप) एवं उनके रख–रखाव हेतु आलमिरा का भी प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
16. गैसीफायर की तकनीकी (कितने कोयले से कितना गैस उत्पन्न होगा) जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही कोल स्पेशिफिकेशन (coal specification) की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

17. इण्डक्शन फर्नेस में प्रक्रिया के दौरान एनर्जी बैलेंस एवं मटेरियल बैलेंस की जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही इण्डक्शन फर्नेस का विस्तृत विवरण एवं उससे जनित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की विस्तृत गणना कर प्रस्तुत की जाए।
18. उद्योग को प्राप्त होने वाले रॉ–मटेरियल के सप्लायर का विवरण प्रस्तुत किया जाए।
19. वर्तमान प्रस्तुत प्लांट ले–आउट में लेडल फर्नेस दर्शाया गया है, जबकि ऑनलाईन आवेदन के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्ताव में लेडल फर्नेस का उल्लेख नहीं है। अतः उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाए। साथ ही प्लांट ले–आउट में सभी इकाईयों को स्पष्ट दर्शाते हुये संशोधित ले–आउट प्लान प्रस्तुत किया जाए।
20. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 23/03/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 30/03/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. वर्तमान स्थिति में विनियोग की कुल लागत 4688.47 लाख रुपये का ब्रेक–अप प्रस्तुत किया गया है।
2. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के ज्ञापन क्रमांक 2331/मु./तक./छ.ग.प. सं.म./2021 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16/07/2021 द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु को जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही के संबंध में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।
3. उद्योग की स्थापना हेतु ग्राम पंचायत किरना का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. भूमि संबंधी दस्तावेज खसरा नक्शा (बी–1, पी–2) प्रस्तुत किया गया है।
5. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार कुल क्षेत्रफल – 11.065 हेक्टेयर है, जिसमें से इण्डक्शन फर्नेस का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर, रोलिंग मिल के साथ कोल गैसीफायर का क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर, गेल्वेनाइजिंग इकाई का क्षेत्रफल 0.8 हेक्टेयर, स्टोरेज एवं आंतरिक मार्ग का क्षेत्रफल 1.75 हेक्टेयर, वॉटर रिजर्वायर एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का क्षेत्रफल 0.1 हेक्टेयर, पार्किंग क्षेत्रफल 0.125 हेक्टेयर, हरित पट्टिका हेतु क्षेत्रफल 4.426 हेक्टेयर तथा अन्य क्षेत्रफल 1.364 हेक्टेयर है।
6. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु 325 टन प्रतिदिन का 3 नग रोलिंग मिल स्थापित किया गया है, जिसमें चिमनी की ऊंचाई 47 मीटर (इण्डियन कोल के लिए) एवं 41 मीटर (इम्पोर्टेड कोल के लिए) की गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
7. वर्तमान में कार्यरत श्रमिकों की संख्या 100 है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत कार्यरत श्रमिकों की संख्या 150 होगी।
8. परिवहन, कच्चे माल की लोडिंग–अनलोडिंग, सभी ट्रांसफर पाईंट्स, कन्वेयरिंग पाईंट्स, मार्गों आदि से होने वाले धूल उत्सार्जन के नियत्रंण हेतु स्थापित एवं प्रस्तावित व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नानुसार है:–

Identified Impacts	Mitigation Measures
Raw Material Transpotation	Covered Trucks
Unloading of Raw Material	Dust Suppression System (Fog type and Water Spray System)
Raw Material Conveying	Covered Conveyers to Prevent Flying of Dust During conveying
Coal handling Plant	Dust extraction System with Bag filters
Coal Transfer Points	Dust Extraction System with Bag filters
Stacks Emissions	Fume Extraction System with Bag filters (PTFE) will be provided to Induction Furnace to bring down the PM to 30mg/ Nm^3
Vehicular Movement	All Internal Roads will be made pucca Avenue Plantation will be Developed on both sides of Villages Roads and Internal Roads

9. चिमनी से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने बाबत् विस्तृत गणना एवं प्रदूषण भार में वृद्धि संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसारः–

Incremental Ground Level Concentration due to proposed expansion proposal				
Particular	**PM_{10} ($\mu g/m^3$)**	**SO_2 ($\mu g/m^3$)**	**NO_2 ($\mu g/m^3$)**	**CO ($\mu g/m^3$)**
Maximum baseline conc. in study area	65.3	10.2	19.5	1,253
Maximum Predicted incremental rise in concentration due to **the proposed expansion**	0.86	4.4	5.3	-
Maximum Predicted incremental rise in concentration due to **Vehicular emissions from the proposed expansion**	0.49	–	3.8	2.1
Net resultant concentration during operation of **the proposed expansion**	66.65	14.6	28.6	1,255.1

10. वर्तमान मे स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत हीट बैलेंस, एनर्जी बैलेंस, रॉ–मटेरियल बैलेंस एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि ई.टी.पी से प्राप्त स्लज के ड्राई डिस्पोजल (Dry Disposal) के लिए फिल्टर प्रेस लगाया जाएगा तथा प्राप्त अवशेष को वृक्षारोपण हेतु खाद के रूप में उपयोग किया जाएगा।
11. उद्योग के विभिन्न इकाईयों तथा 40.01 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण को दर्शाते हुए ले–आउट प्लान प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि आगामी मानसून में निर्धारित संख्या में पौधों का रोपण किया जाए।
12. कुल क्षेत्रफल के 4.426 हेक्टेयर (40.01 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्रस्ताव सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है। वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 10,22,490 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 4,86,900 रूपये, खाद के लिए राशि 48,690 रूपये, रख–रखाव के लिए राशि 9,73,800 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 25,31,880 रूपये प्रथम वर्ष में एवं इसके अतिरिक्त

कुल राशि 17,16,188 रूपये आगामी 4 वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

13. स्थापित एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत विद्युत की मात्रा कुल 33.2 मेगावॉट विद्युत खपत होगी, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 500 के.व्ही.ए. का 1 नग का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा।

14. लोक सुनवाई में उठाये गये मुद्दों के निराकरण की दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही की कार्य योजना सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in Hindi) में प्रस्तुत किया गया है। अतः **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. उद्योग से निकले वाली काले धूऐ के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है।
ii. दूषित जल की निकासी उद्योग के बाहर करने से आस–पास के क्षेत्र की फसले प्रभावित हो रही है। इस बाबत् मुआवजा दिया जाना चाहिए।
iii. उद्योग द्वारा सामाजिक विकास का कार्य किया जाना चाहिए।
iv. स्थानीय लोगों को रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जाए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक का कथन एवं प्रस्तावित कार्ययोजना संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:–

i. वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए इण्डक्शन फर्नेस में बेग फिल्टर की स्थापना प्रस्तावित है। रोलिंग मिल को कोल गैसीफायर से संचालित किया जाना प्रस्तावित है। सभी वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणो में पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम होगी।
ii. प्रस्तावित इकाई द्वारा उत्सर्जित औद्योगिक दूषित जल को सेटलिंग पॉण्ड में भेजा जायेगा, जहां से उसे क्लोज्ड कूलिंग सर्किट द्वारा पुनर्चक्रित किया जाना प्रस्तावित है तथा औद्योगिक दूषित जल उत्सर्जन नहीं होगा। प्रस्तावित परियोजना में प्रदूषण की रोकथाम हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा सुझायें गये सभी उपायों को अपनाया जाएगा। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त इकाईयों एजेंसियों द्वारा सूचित करने पर हमारे द्वारा समुचित क्षतिपूर्ति दी जाएगी।
iii. सामाजिक उत्थान हेतु आस–पास के निवासियों की सहायता की जा रही है तथा भविष्य में भी की जाएगी। प्रस्तावित परियोजना के स्थापना कार्य के दौरान लगभग राशि रुपये 37 लाख का प्रावधान किया गया है, जिससे शाला भवन जीर्णोद्धार, निस्तारी व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, कौशल विकास, छात्रवृत्ति, मेडिकल कैम्प तथा एम्बुलेंस की व्यवस्था आदि कार्य किया जाना प्रस्तावित है।
iv. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

15. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों में से बिन्दु क्रमांक तीन के परिपेक्ष्य में प्रस्तावित कार्य हेतु त्रिपक्षीय समिति (उद्योग प्रबंधन, स्थानीय ग्रामीण एवं जिला प्रशासन) गठित कर समिति की निगरानी में प्रस्तावित कार्य कराया जाए।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
4688.47	1%	46.88	Following activities at nearby proposed site	
			Pavitra Van Nirman	22.07
			Environmental library with almirah in schools	6.00
			Drinking Water facility	5.60
			Running water facilities in schools	1.80
			Plantation in schools	2.48
			Total	**37.95**

सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 3,06,180 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,85,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,45,800 रूपये, रख–रखाव के लिए राशि 3,53,280 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 10,90,260 रूपये प्रथम वर्ष में एवं इसके अतिरिक्त कुल राशि 11,16,875 रूपये आगामी 4 वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम मनोहरा के अंतर्गत शासकीय भूमि (खसरा क्रमांक 393/1, क्षेत्रफल 2.43 हेक्टेयर) के संबंध में उक्त सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के कार्य हेतु ग्राम पंचायत मनोहरा द्वारा दिनांक 30/03/2022 को जारी अनापत्ति प्रमाण की प्रति प्रस्तुत की गई है। साथ ही स्कूल में पर्यावरण संबंधी पुस्तक (स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप) एवं उनके रख–रखाव हेतु आलमिरा के लिए राशि रुपये 6 लाख, बाउंड्री के चारो तरफ वृक्षारोपण के लिए राशि रुपये 2.48 लाख, रनिंग वॉटर के लिए राशि रुपये 1.80 लाख एवं पीने योग्य पानी के लिए राशि रुपये 5.60 लाख का भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जिस हेतु प्रधान पाठक, शासकीय माध्यमिक शाला किरना, प्रधान पाठक, नवीन प्राथमिक शाला किरना, संकुल समन्वय, संकुल स्त्रोत केंद्र निनवा, प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला मेहरसखा, प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला कुथरेल एवं प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला रैता से सहमति प्राप्त कर, प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त सी.ई.आर. की शेष राशि रुपये 8.94 लाख को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (Forest Development Corporation) में जमा की जाए।

17. प्रस्तावित गैसीफायर में हॉट गैस फायरिंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा एवं गैसीफायर से उत्पन्न गैस का कण्डनशेसन नहीं किया जाएगा, जिससे कोई फिनॉलिक वॉटर उत्पन्न नहीं होगा। प्रस्तावित गैसीफायर की क्षमता 1 गुणा 6,500 सामान्य घनमीटर होगी, जिसमें रॉ–मटेरियल के रूप में इण्डियन कोल 21,500 टन प्रतिवर्ष अथवा इम्पोर्टेड कोल 13,700 टन प्रतिवर्ष कोयला खपत होगी। इससे उत्पन्न ठोस अपशिष्ट की मात्रा सिण्डर 9,680 टन प्रतिवर्ष एवं टार

461 टन प्रतिवर्ष होगी। कोल स्पेशिफिकेशन (coal specification) की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

18. इण्डक्शन फर्नेस में प्रक्रिया के दौरान एनर्जी बैलेंस एवं मटेरियल बैलेंस की जानकारी प्रस्तुत की साथ ही इण्डक्शन फर्नेस का विस्तृत विवरण एवं उससे जनित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की विस्तृत गणना कर प्रस्तुत की गई है तथा स्थापित एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु 33.2 मेगावॉट (इण्डक्शन फर्नेस हेतु 27 मेगावॉट, रोलिंग मिल हेतु 6 मेगावॉट एवं कोल गैसीफायर हेतु 0.2 मेगावॉट) विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट स्थापित है।
19. उद्योग को प्राप्त होने वाले रॉ–मटेरियल के सप्लायर का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
20. प्लांट में लेडल रिफाईनिंग फर्नेस का उपयोग नहीं किया जाएगा। लेडल का उपयोग केवल हॉट मेटल को लिफ्ट करने के लिए किया जाएगा। साथ ही प्लांट ले–आउट में सभी इकाईयों को स्पष्ट दर्शाते हुये संशोधित ले–आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है।
21. समिति का मत है कि अधिक से अधिक सतही जल (Surface water) का उपयोग किया जाए।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** मेसर्स शौर्य इस्पात उद्योग प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–किरना, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 247/2, 247/11, 247/15, 247/17, 270/2, 271/1, 271/3, 271/4, 272/1, 273, 274, 276/5, 276/10, 276/12, 276/13, 276/14, 276/15, 276/17, 276/18, 276/19, 276/20, 276/23, 276/24, 276/25, 276/26, 276/27, 276/29, 276/38, 276/40, 276/41, 276/42, 276/43, 276/44, 319/9, 320/18, 320/42 एवं 320/47, कुल क्षेत्रफल – 11.065 हेक्टेयर (27.33 एकड़) में इण्डक्शन फर्नेस से (एम.एस. बिलेट/इंगाट/हॉट बिलेट्स) – 30,000 टन प्रतिवर्ष (2 गुणा 6 टन) से 3,27,000 टन प्रतिवर्ष (2 गुणा 6 टन एवं 6 गुणा 15 टन), हॉट चार्ज आधारित रोलिंग मिल (टी.एम.टी./वायर रॉड/पत्रा एवं अन्य री–रोल्ड प्रोडक्ट) – 30,000 टन प्रतिवर्ष से 3,21,750 टन प्रतिवर्ष, कोल गैसीफायर – 1 गुणा 6,500 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा एवं गेल्वेनाईजिंग यूनिट (एच.बी. वायर, जी.आई. वायर, बाईडिंग वायर, वेड मेश, चैन लिंक, बारबेड वायर, वेल्ड मेश, स्टे वायर, कोल्ड डिप, रेक्टीफायर, वायर क्लॉथ) – 1,00,000 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु **परिशिष्ट–02** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(कलदिप्स तिर्की)
सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)
अध्यक्ष
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

AMENDMENT IN ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR EXISTING RE-ROLLED PRODUCT OF CAPACITY- 1,20,000 TONNES / YEAR (12,000 TONNES / YEAR THROUGH EXISTING REHEATING FURNACE BASED ON COAL GASIFIER AND 1,08,000 TONNES / YEAR THROUGH HOT CHARGING) IS REPLACED BY REHEATING FURNACE BASED ON COAL GASIFIER ROLLING MILL OF CAPACITY - 1,20,000 TONNES / YEAR OF M/S KRISHNA IRON STRIPS & TUBES PRIVATE LIMITED

I. Statutory Compliance:

i. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).

ii. The project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water / from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.

iii. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

II. Air Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time; and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

ii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$ in reference to PM emission, and SO_2 and NO_x in reference to SO_2 and NO_x emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions.

iv. The project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. Collecting hoods with Fume Extraction System with Bag filters (PTFE) of adequate capacity and high efficiency shall be installed in reheating furnace coal gasifier based rolling mill with minimum 33 meter stack to ensure that particulate matter emission less than 25 mg/Nm3 all the time. The project proponent shall provide leakage detection and mechanized bag cleaning facilities for better maintenance of bags. Project proponent shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc. also. Project proponent shall install dust extraction system with bag filters in coal handling plants and coal transfer points. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. Adequate provision shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. For controlling fugitive dust, regular sprinkling of water in vulnerable areas of the plant shall be ensured. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be made. Project proponent shall be provided lime dosing for control of sulphur dioxide emission. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the Project proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency. As per proposal submitted emission of pollutants from any point source shall not exceed the following limit: -

Particulate Matter	25 mg/Nm^3 (Thirty Milligram per Normal Cubic Meter)

Project proponent shall provide proper space provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit. The height of any other stack(s) shall not be less than 30 meters.

v. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six- monthly monitoring report.

vi. Sufficient number of mobile or stationery vacuum cleaners shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly.

vii. Recycle and reuse iron ore fines and such other fines collected in the pollution control devices and vacuum cleaning devices in the process.

viii. The project proponent shall use mechanically covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of raw materials.

ix. At entry and exit point of plant, wheel wash system shall be provided to control wheel generated dust.

x. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed-circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

xi. The project proponent shall provide covered sheds for raw materials like scrap and sponge iron etc.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of effluent (neutralization system) generated from pickling, washing, galvanizing process, spent acid etc. The ETP shall have acid proof lining to avoid any chance of under ground water contamination. Sludge generated from effluent treatment plant shall be transferred to sludge drying beds and disposed off as per the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time. Sewage Treatment arrangement shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India under G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.

ii. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur Atal Nagar, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

iv. Garland drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.

v. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.

vi. The project proponent shall make efforts to minimize water consumption in the plant by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.

vii. The project proponent shall used the maximum surface water.

IV. Noise Monitoring and Prevention

i. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Office of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur as a part of six-monthly compliance report.
ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Energy Conservation Measures

i. Ensure installation of regenerative type burners on all reheating furnace(s). The project proponent shall not utilize any solid fuel such as coal as fuel directly in the re-heating furnace(s) or any other furnace(s). Only gas from producer gas plant shall be used in reheating furnace(s) of Rolling Mill of capacity 1,20,000 tonnes / year as a fuel.
ii. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.
iii. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

VI. Waste Management

i. The project proponent shall take effective steps for safe disposal of solid wastes and sludge. Furnace slag shall be given to slag processing unit. End cutting shall be used as raw material in own Induction Furnace(s) for steel making. Mill Scales shall be given to nearby ferro alloys manufacturing unit or casting unit. Tar and Oily sludge shall be sold to authorized recyclers / re-processors for proper disposal through incineration. Lime sludge shall be given to cemnt industries.
ii. Used refractories shall be recycled as far as possible.
iii. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.
iv. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.
v. The project proponent shall install filter press for dry disposal of sludge received from ETP and shall used the waste as manure in plantation.

VII. Green Belt

i. Green belt shall be developed in an area not less than 40% of the total plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. Greenbelt shall inter alia cover the periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. Project proponent shall ensure that plantation will be done within 1 year.
ii. The project proponent shall prepar.e GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

VIII. Public Hearing & Human health Issues

i. Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
ii. The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
iii. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
iv. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

IX. Corporate Environment Responsibility

i. The project proponent shall comply with the provisions of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility. Project proponent shall made CER fund as follows:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
1015	1%	10.15	Following activities at 10 Nearby Government Schools	
			Rain Water Harvesting System	6.09
			Running Water Facility for Toilets	1.80
			Potable Drinking Water Facility with 3 year AMC	1.75
			Plantation with Fencing	1.00
			Total	**10.64**

ii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

iii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.

iv. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.

v. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

vi. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants (if any) shall be implemented.

vii. Environment Clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (As Amended).

X. Additional Conditions

i. This EC shall be granted subject to the condition that the pollution load for proposed project shall not exceed the existing pollution load of the industry. If the pollution load is increased beyond the existing pollution load then this EC shall deemed to be cancelled.

ii. The other condition with respect to the induction furnace, MS Pipe &Tubes and Fabrication unit shall remain unchanged.

iii. No additional land shall be acquired for this project.

iv. Local persons shall be given employment during development and operation of the plant.

v. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

vi. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

vii. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

viii. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10}, SO_2, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

ix. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

x. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

xi. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

xii. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

xiii. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xiv. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xv. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

xvi. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xvii. The Regional Office Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xviii. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xix. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

xx. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

Member Secretary, SEAC **Chairman, SEAC**

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR EXPANSION IN EXISTING INDUCTION FURNACE WITH CCM OF CAPACITY- 30,000 TONNES / YEAR TO 3,27,000 TONNES/ YEAR, RE-ROLLED PRODUCT OF CAPACITY- 30,000 TONNES / YEAR TO 3,21,750 TONNES / YEAR, GALVANIZATION UNIT 10,000 TONNES / YEAR AND COAL GASIFIER CAPACITY – 1X6,500 Nm^3/Hr OF M/S SHOURYA ISPAT UDYOG PRIVATE LIMITED

I. Statutory Compliance:

i. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).

ii. The project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water / from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.

iii. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

II. Air Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time, and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

ii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$ in reference to PM emission, and SO_2 and NO_x in reference to SO_2 and NO_x emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions and connected to SPCB and CPCB online server.

iv. The project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. Collecting hoods with Fume Extraction System with Bag filters (PTFE) of adequate capacity and high efficiency shall be installed in induction furnace(s) with minimum 30 meter stack height and collecting hoods with Fume Extraction System with Bag filters (PTFE) of adequate capacity and high efficiency shall be installed in reheating furnace coal gasifier based rolling mill with minimum 30 meter stack height 47 meter to ensure that particulate matter emission less than 30 mg/Nm3 all the time. The project proponent shall provide leakage detection and mechanized bag cleaning facilities for better maintenance of bags. Project proponent shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc. also. Project proponent shall install dust extraction system with bag filters in coal handling plants and coal transfer points. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. Adequate provision shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. For controlling fugitive dust, regular sprinkling of water in vulnerable areas of the plant shall be ensured. Proper ventilation shall also be provided in induction furnace plant. Project proponent shall install suitable fume extraction system followed by scrubber to ensure the collection of acid fumes generated from pickling, washing etc. of galvanizing plant. Fume/ dust extraction system followed by bag filter/ scrubber shall be provided in galvanization bath. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the Project proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency. As per proposal submitted emission of pollutants from any point source shall not exceed the following limit: -

Particulate Matter	30 mg/Nm^3 (Thirty Milligram per Normal Cubic Meter)

Project proponent shall provide proper space provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit. The height of any other stack(s) shall not be less than 30 meters.

v. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six- monthly monitoring report.

vi. Sufficient number of mobile or stationery vacuum cleaners shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly.

vii. Recycle and reuse iron ore fines and such other fines collected in the pollution control devices and vacuum cleaning devices in the process.

viii. The project proponent shall use mechanically covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of raw materials.

ix. At entry and exit point of plant, wheel wash system shall be provided to control wheel generated dust.

x. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed-circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

xi. The project proponent shall provide covered sheds for raw materials like scrap and sponge iron etc.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of effluent (neutralization system) generated from pickling, washing, galvanizing process, spent acid etc. The ETP shall have acid proof lining to avoid any chance of under ground water contamination. Sludge generated from effluent treatment plant shall be transferred to sludge drying beds and disposed off as per the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time. Sewage Treatment arrangement shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India under G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.

ii. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur Atal Nagar, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

iv. Garland drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.

v. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.

vi. The project proponent shall make efforts to minimize water consumption in the plant by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.

vii. The project proponent shall use the maximum surface water.

IV. Noise Monitoring and Prevention

i. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Office of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur as a part of six-monthly compliance report.
ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Energy Conservation Measures

i. Ensure installation of regenerative type burners on all reheating furnace(s). The project proponent shall not utilize any solid fuel such as coal as fuel directly in the re-heating furnace(s) or any other furnace(s). Only gas from producer gas plant shall be used in reheating furnace(s) of Rolling Mill of capacity 1,20,000 tonnes / year as a fuel.
ii. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.
iii. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

VI. Waste Management

i. The project proponent shall take effective steps for safe disposal of solid wastes and sludge. Furnace slag shall be used as sub base material in road construction/ will be given to brick manufacturer. End cutting shall be used as raw material in own Induction Furnace(s) for steel making. Mill Scales shall be given to nearby ferro alloys manufacturing unit or casting unit. Tar and Oily sludge shall be sold to authorized recyclers / re-processors for proper disposal through incineration. Cinder shall be given to cement plant.
ii. Used refractories shall be recycled as far as possible.
iii. Zinc dross, Zinc ash generated from the galvanizing plant, waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed off as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.
iv. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.
v. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.
vi. The project proponent shall install filter press for dry disposal of sludge received from ETP and shall used the waste as manure in plantation.

VII. Green Belt

i. Green belt shall be developed in an area not less than 40.01 % (4.426 Ha) of the total plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. Greenbelt shall inter alia cover the periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. Project proponent shall ensure that plantation will be done within 1 year.
ii. The project proponent shall prepar e GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

VIII. Public Hearing & Human health Issues

i. Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
ii. The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
iii. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
iv. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

IX. Corporate Environment Responsibility

i. The project proponent shall comply with the provisions of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility. Project proponent shall made CER fund as follows:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
4688.47	1%	46.88	Following activities at nearby proposed site	
			Pavitra Van Nirman	22.07
			Environmental library with almirah in schools	6.00
			Drinking Water facility	5.60
			Running water facilities in schools	1.80
			Plantation in schools	2.48
			Total	**37.95**

a) Development of "Pavitra-van" at village manohara, khasra no. 393/1 area 2.43 hectare as dense and religious plantaion. Estimate cost of this plantaion is around **Rs. 22.07 Lakhs.**

b) Development of Library in school for developing environmental awareness in nearby villages namely Governmnet middle school Kirna, navin primary school kirna, sankool source centre Ninva, Government primary school meharsakha, Government primary school kuthral and Government primary school Raita . Development cost is estimated to tune of **Rs. 6.0 Lakhs.**

c) Peripheral Plantation in schools, this will cost to **Rs.2.48 Lakhs.**

d) Providing running water in schools, this will cost to **Rs.1.80 Lakhs.**

e) Provinding RO based drinking water facility in schools, this will cost to **Rs.5.60 Lakhs.**

f) The remaining amount of Corporate Environmental Responsibility funds **Rs.8.94 Lakhs** should be deposited in Chhattisgarh State Forest Development Corporation (CGFDC), Nava Raipur Atal Nagar.

ii. The project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned principal of the respective schools.

iii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.

v. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.

vi. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

vii. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants (if any) shall be implemented.

viii. Environment Clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (As Amended).

X. Additional Conditions

i. This EC shall be granted subject to the conditions that the emission level shall not exceed the prescribed limit notified by Central Pollution Control Board failing which this EC shall deemed to be cancelled.

ii. No additional land shall be acquired for this project.

iii. Local persons shall be given employment during development and operation of the plant.

iv. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

v. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

vi. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

vii. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10}, SO_2, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

viii. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

ix. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

x. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

xi. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

xii. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xiii. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xiv. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

xv. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xvi. The Regional Office Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xvii. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xviii. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

xix. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

Member Secretary, SEAC **Chairman, SEAC**